विज्ञापन संख्या एमओटी/05/2023 दिनांक: 25.08.2023

सं.ए-42011/26/2023 स्था.
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
******

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक, 24 अगस्त, 2023

<u>रिक्ति संबंधी परिपत्र</u>

विषय:अनुभाग अधिकारी या इससे ऊपर के पद से सेवानिवृत्त एक (1) व्यक्ति की वस्त्र मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

वस्त्र मंत्रालय केंद्र सरकार के कार्यालयों/संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों से सेवानिवृत्त ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित कार्य/सीसीएस(सीसीए) नियमों/आचरण नियमावली/जानकारी/सीवीसी, डीओपीटी के नियमों का ज्ञान /अनुशासनात्मक मामलों का विश्लेषण/आरोप /शास्ति आदेश/टिप्पण-आलेखन पत्र तैयार करने का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो, को वस्त्र मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है ।

2. **<u>अनुबंध के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी:-</u>**

i. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2023 को 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. कार्य दिवसों के दौरान कार्य के घंटे सामान्यतः प्रात: 09.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक होंगे। तथापि, कार्य की अत्यावश्यकता में, उन्हें देर रात तक बैठने की आवश्यकता हो सकती है और शनिवार/रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में उन्हें बुलाया जा सकता है ।

iii. वे समय-समय पर संशोधित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 द्वारा शासित होंगे और मंत्रालय में उनकी परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति अवधि के दौरान उनके संज्ञान में आने वाली किसी भी जानकारी/डेटा का खुलासा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को नहीं करेंगे। ऐसे सभी दस्तावेज़ सरकार की संपत्ति होंगे।

iv. वे विभाग की लिखित सहमति के बिना विभाग के लिए उनके असाइनमेंट के उद्देश्य से अथवा असाइनमेंट के दौरान एकत्र किए गए आँकड़े या सांख्यिकी या कार्यवाही या सूचना के किसी भी भाग का उपयोग अथवा प्रकाशन अथवा तृतीय पक्ष को साझा नहीं करेंगे।

v. विभाग के लिए एकत्र किए गए डेटा के साथ-साथ निर्मित डिलिवरेबल्स का बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) विभाग के पास ही रहेंगे।

vi. परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 23.01.2017 के परिपत्र संख्या 01/0/2017 एवं दिनांक 24.06.2011 के परिपत्र संख्या 08/06/2011 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। वे नैतिक व्यवसाय और व्यावसायिकता के संदर्भ में इस विभाग में नियुक्ति के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सलाह या सेवा के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

vii. उन्हें हर समय वस्त्र मंत्रालय के हित में कार्य करना चाहिए और पेशेवर ईमानदारी के साथ कोई भी सलाह/सेवा प्रदान करनी चाहिए।

viii. वे इस विभाग में परामर्शदाता के रूप में कार्य करते समय सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, अर्थव्यवस्था और क्षमता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।

ix. इस प्रकार नियुक्त किए गए परामर्शदाता किसी भी स्थिति में प्रतिनिधित्व नहीं करेगे और किसी भी मामले में दूसरों को कोई राय या सलाह नहीं देंगे जो विभाग के हित के प्रतिकूल है और न ही वे संविदात्मक असाइनमेंट की शर्तों के बाहर किसी भी गतिविधि में शामिल होंगे।

3. **पारिश्रमिक और भत्ते:** पारिश्रमिक, छुट्टी और भत्ता व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के का.ज्ञा. सं. 3-25-2020.E-IIIA के अनुसार निम्नवत निर्धारित किया जाएगा:

<u>परिलब्धियाँ</u> :- देय मासिक परिलब्धियाँ/पारिश्रमिक अंतिम आहरित वेतन से आहरित की गई पेंशन की राशि घटाकर + प्रति माह अंतिम पद पर प्राप्त परिवहन भत्ता के समतुल्य स्थानीय परामर्शी शुल्क के रूप में परिवहन भत्ता दिया जाएगा। चयनित व्यक्ति द्वारा आहरित परिलब्धियाँ और पेंशन उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि उस पर महंगाई भत्ता अनुमेय नहीं होगा।

तथापि, परामर्शदाता कार्यालयी ई-मेल आईडी, सरकारी पहचान कार्ड, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, मानक उपकरणों के साथ कार्यालय पुस्तकालय सुविधा आदि के लिए पात्र होगा।

सेवानिवृत्त पीएसयू कर्मचारियों का पारिश्रमिक केंद्र सरकार में पद के समकक्ष स्तर जिस पर सेवानिवृत्त पीएसयू कर्मचारी अनुबंध के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव का पता लगाकर निर्धारित किया जाएगा। केन्द्र सरकार में ऐसे पद का कल्पित वेतन ऐसे पद के तदनुरूप वेतन स्तर का सेल-1 और

सेल-10 के मध्य को लेते हुए निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित राशि को अंतिम मूल वेतन माना जाएगा और ऐसे मूल वेतन का 50% पारिश्रमिक के रूप में स्वीकार्य होगा।

<u>भत्ते :-</u> परामर्शदाता किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास सुविधा का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, यदि उन्हें मंत्रालय के सरकारी कार्य के संबंध में देश के अंदर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो उसी ग्रेड के नियमित कर्मचारी को स्वीकार्य टीए/डीए का भुगतान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।

<u>अवकाश:</u> - परामर्शदाता प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन के अवकाश के लिए पात्र होगा। स्वीकार्य अवकाश से अधिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए परामर्शदाता को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। उपयोग न की गई छुट्टी को न तो अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और न ही भुनाया जाएगा।

4. **<u>स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस):-</u>** स्वीकार्य टीडीएस की कटौती परामर्शदाता के मासिक पारिश्रमिक से की जाएगी। मांगे जाने पर संबंधित डीडीओ द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

5. परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति को पुनर्नियोजन का मामला नहीं माना जाएगा।

6. **<u>परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड:</u>**

जो व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अपेक्षित है:

6.1 <u>सामान्य शर्तें:</u>

i. किसी भी केंद्र सरकार के कार्यालयों/संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से अनुभाग अधिकारी और उससे ऊपर के पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए;
ii. दिनांक 01.07.2023 को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
iii. उनके पास **उत्कृष्ट कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर संचालन और ई-ऑफिस** में काम करने के साथ उत्कृष्ट संप्रेषण और पारस्परिक कौशल होना चाहिए ।

6.2 विशेष शर्तें:- सतर्कता प्रभाग के लिए:

सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित कार्य/सीसीएस (सीसीए) नियमावली/आचरण नियमावली की जानकारी/सीवीसी, डीओपी एंड टी के नियमों की जानकारी/अनुशासनात्मक मामलों का विश्लेषण/आरोप पत्र/दंड आदेश/ नोटिंग/मसौदा तैयार करने में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है।

6.3 नियुक्ति की अवधि:

6.3.1. परामर्शदाता के रूप में किसी व्यक्ति की प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। शुरुआती कार्यकाल की समाप्ति के बाद, मंत्रालय की आवश्यकता और संबंधित परामर्शदाता के कार्य निष्पादन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, नियुक्ति को एक समय में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

6.3.2 परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी और उन्हें वस्त्र मंत्रालय में परामर्श की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं होगी।

6.3.3. परामर्शदाता की नियुक्ति विशिष्ट नौकरियों/कार्यों के सापेक्ष अस्थायी (गैर-सरकारी) प्रकृति की होगी।

7. चयन की प्रक्रिया:

वस्त्र मंत्रालय में गठित स्क्रीनिंग समिति आवेदनों की जांच करेगी और उपर्युक्त पैरा 6.1 और 6.2 में बताए गए पात्रता मानदंडों के आधार पर परामर्शदाता का चयन करेगी।

8 परामर्शी सेवा का समापन:

वस्त्र मंत्रालय द्वारा परामर्शदाता की नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। तथापि, परामर्शदाता को नियुक्ति से इस्तीफा देने से पहले 30 दिन की अग्रिम सूचना या उसके बदले में पारिश्रमिक देना होगा।

विज्ञापन संख्या एमओटी/05/2023 दिनांक: 25.08.2023

9. केंद्र सरकार के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी अपने आवेदन को पीपीओ की एक प्रति के साथ संलग्न प्रारूप में दिनांक 14.09.2023 तक अनुभाग अधिकारी (स्थापना), कमरा नंबर 546, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 में जमा कर सकते हैं। नीचे दिए अधोहस्ताक्षरी के ईमेल पर भी आवेदन भेजे जा सकते हैं। अपूर्ण या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

10 कृपया इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

(जी के रजनीश)
अवर सचिव, भारत सरकार
ईमेल: gk.rajnish@gov.in
दूरभाष- 23063837

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
एनआईसी, वस्त्र मंत्रालय, मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अनुबंध -क

विज्ञापन सं. एमओटी/05/2023 के प्रत्युत्तर मे वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली में परामर्शदता के पद हेतु आवेदन

1. पूरा नाम:

2. पिता का नाम:

3. जन्म तिथि:

4. दिनांक 01.07.2023 को आयु:

5. सेवानिवृत्ति की तिथि:

6. कार्यालय जहां अंतिम बार काम किया:

विज्ञापन संख्या एमओटी/05/2023 दिनांक: 25.08.2023

- कार्यालय का नाम:
- क्या मुख्य मंत्रालय/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय है :

7. अंतिम धारित पदनाम:

8. अंतिम आहरित वेतन/पेंशन :

9. अंतिम पद पर लिया गया परिवहन भत्ता (टीए):

10. आधार संख्या :

11. मोबाइल न. :

12. पता :

13. शैक्षणिक योग्यता :

14. ईमेलआईडी :

अनुबंध -क

15. कार्य अनुभव (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें):

मंत्रालय /विभाग	धारित पद	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणी
		से	को		

स्थान:

तारीख:

विज्ञापन संख्या 05/2023 के तहत परामर्शदाता (सतर्कता) के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची:

- पीपीओ की प्रति
- अंतिम वेतन पर्ची की प्रति